

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्र.पत्र./ 34 / 2017

दर्ज दिनांक:-25.05.2017

1. अनीता पता- .....प्रार्थी

बनाम

2. जगगोराम पता- .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भोलासिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.01.18

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मूलदावा नोट प्रेस करने पर खारिज किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर